

Request-118

9.3.11

Seen by Mr. A.J.M 26.8.11

Scanned
8-3-11
Encl-23

582 Qualist

IV 3679

9
16/3/11

8
14-10-11

163-4

From,

Anurag Kumar,
District Judge,
Bahraich.

To,

The Registrar General,
Hon'ble High Court,
Allahabad.

No. 232/232-XV-1-11 Dated: Bahraich: February 26, 2011.

Subject: Submission of Property Statements by the Judicial Officers.

Sir,

In compliance of G.L. No. 13748 IV-h-16/Admin.(A-4) dated: 28-08-2010 as well as C.L. No. 35 IV-h-16/Admin(A) dated: 23-11-2010, on the subject noted above, I have the honour to send herewith the property statements of Judicial Officers posted in this judgeship at present, detailed below:-

Name of Judicial Officers

- 1- Sri Narendra Pal Singh Tomar, ACJM, Bahraich.
- 2- Sri Vineet Narain Pandey, Addl. Civil Judge (J.D.), Court No.3
- ✓ 3- Sri Rakesh Kumar Tiwari, Addl. Civil Judge (J.D.), Court No.5
- 4- Sri Nand Kumar, Addl. Civil Judge (J.D.), Court No.8

It is, therefore, requested that these Property Statements may be placed before the Hon'ble Court for kind perusal.

Encl: As Above

Yours faithfully

Anurag Kumar
(ANURAG KUMAR)
District Judge.

576086
290
25-3-11

23
1585
So. Adm. H/A
Anurag Kumar
J.R.M.
07-03-11

IR (C)
Anurag

5 MAR 2011

Anurag
15-10-11

प्रेषक,

राकेश कुमार तिवारी,
अपर सिविल जज (अ0ख0) कोर्ट नं0-5,
बहराइच।

सेवा में,

महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:- श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
बहराइच।

पत्राक:-

दिनांक: बहराइच: जनवरी, 2011

विषय:- सेवा में आने के दिनांक-08.05.2009 के पूर्व न्यायिक अधिकारी द्वारा धारित की
गयी सम्पत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मेरे द्वारा नियम 24 (3) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा
(आचरण) नियमावली 1956 तथा नियम 428 जनरल रूल सिविल 1957 के
अन्तर्गत यथोपेक्षित सम्पत्तियों एवं अन्य विवरण निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर माननीय
महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

सादर!

भवदीय,

संलग्नक-यथोक्त।

Rakesh Kumar Tiwari

(राकेश कुमार तिवारी)

अपर सिविल जज (अवर खण्ड),
कोर्ट नं0-5, बहराइच।

नियम 24 (3) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (आचरण नियमावली-1956 तथा नियम 428 जनल रूल सिविल 1957) के अन्तर्गत राकेश कुमार तिवारी, अपर सिविल जज (अ0खं0) जनपद बहराइच की अचल सम्पत्ति का विवरण

(सेवा में आने की तिथि दिनांक 08.5.09 से पूर्व धारित अचल सम्पत्ति)

नाम	पदनाम नियुक्ति तिथि	जमीन जायदाद जहाँ स्थित है		क्षेत्रफल एकड़.	अर्जित या पैतृक	आर्थिक लगान	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
		जिला	परगना					
राकेश कुमार तिवारी	अपर सिविल जज (अ0खं0) बहराइच। 08.05.2009	प्रतापगढ़	—	—	—	—	—	—

Rakesh Kumar Tiwari
(राकेश कुमार तिवारी)
अपर सिविल जज (अ0खं0),
बहराइच।

Request-118

Request-118

सेवा में आने की तिथि (दिनांक 08.05.2009) से पूर्व राकेश कुमार तिवारी, अपर सिविल जज (अ0ख0) बहराइच द्वारा धारित सम्पत्तियों का विवरण

नाम, पद नाम शासकीय सेवा में नियुक्ति की तिथि	परिवार के सदस्यों का सम्बन्ध नाम व आयु तथा	परिवार के अन्य सदस्यों के नाम जो पृथक आय अर्जित करते हों, उनका विवरण	सेवा में आने से पूर्व (दिनांक 08.05.2009) अधिकारी द्वारा धारित की गयी सम्पत्ति जिसका मूल्य रू0 10000.00 रुपये से अधिक हो, का विवरण उनका मूल्य व उनके क्रय किये जाने में प्रयुक्त धन का श्रोत तथा पूर्व में न्यायालय को प्रेषित सूचना तथा अनुमति का विवरण	बैंक खाता, डाकघर का विवरण व उनके खाते में जमा धनराशि का विवरण व अन्य श्रोत	भविष्य स्वानिधि, एन0एस0सी0, यू0टी0 आई0, जीवन बीमा नि0 व उनका विवरण	बैंक आदि से प्राप्त ऋण का विवरण	वर्ष भर में वेतन आय श्रोतों से की गयी कटौतियों का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राकेश कुमार तिवारी, अपर सिविल जज (अ0ख0) बहराइच। 08.05.2009	1. श्री अवधेश मणि तिवारी, 57 वर्ष, पिता, 2. श्रीमती इन्दु तिवारी, 55 वर्ष, माता,	1. श्री अवधेश मणि तिवारी, सरकारी कर्मचारी, रू0 22000.00 प्रतिमाह। 2. श्रीमती इन्दु तिवारी	1. सोना 150 ग्राम 2. चांदी एक किलोग्राम नोट:- सेवा में आने से पूर्व मेरे द्वारा धारित की गयी सम्पत्ति।	-	-	शून्य	शून्य	शून्य

Rakesh Kumar Tiwari
(राकेश कुमार तिवारी)
अपर सिविल जज (अ0ख0) कोर्ट नं0-5,
बहराइच।

Request-118

27-1-11
incl 118

24-1-11

2
2

From,

ANURAG KUMAR,
District & sessions Judge,
BAHRAICH.

25-84
IV/3679
Serial 8

To,

The Registrar General,
Hon'ble High Court of Judicature at
ALLAHABAD.

4/5/11
8/10-3-11
8
14-10-11

1491
24-1-2011

No. 103/103-XV - 01 - 11 Dated: BAHRAICH; January 22, 2011.

Subject : Submission of property statement by the Judicial Officers.

Sir,

In compliance of G.L.No.13748/IV-h-16/Admin.(A-4) dated 28.08.2010 as well as C.L.No.35/IV h-16/Admin.(A) dated 23.11.2010 on the subject noted above, I have the honour to send herewith the Property Statement of myself as well as the other 7 Judicial Officers posted in this Judgeship at present, detailed below, who have submitted the statement, and the list of those Judicial Officers are also detailed below who despite reminders have not submitted their Property Statement as yet, through special messenger of this Judgeship. Kindly receive the same.

Name of other Judicial Officers who have submitted Statements

1. Shri Babu Lal Yadav, ADJ Court No.1.
2. Shri Ashok Kumar Singh, Special Judge (SC/ST Act)
3. Shri Umesh Kumar Singh, Special Judge (EC Act)
4. Shri Shobhi Lal, ADJ/FTC-I
5. Shri Om Prakash, Addl.Civil Judge(J.D.) Court No.1.
6. Shri Asad Ahmad Hashmi, Civil Judge (J.D.), Bahraich.
7. Shri Raghubar Singh, Addl.Civil Judge(J.D.) Court No.7

Name of Judicial Officers who have not submitted Statements

1. Shri Satya Prakash Dwivedi, CJM, Bahraich
2. Shri Rahul Kumar Pandey, Civil Judge (Sr.Div.), Bahraich
3. Shri Narendra Pal Singh Tomar, ACJM, Bahraich
4. Shri Ram Raj-II, Judicial Magistrate, Bahraich.
5. Shri Anil Kumar-VIII, Addl.Civil Judge(J.D.) Kaiseganj at Bahraich.
6. Shri Alok Kumar, Addl.Civil Judge(J.D.) Court No.2.
7. Shri Vineet Narain Pandey, Addl.Civil Judge(J.D.) Court No.3.
8. Shri Lal Babu Yadav, Addl.Civil Judge(J.D.) Court No.4.
9. Shri Rakesh Kumar Tiwari, Addl.Civil Judge(J.D.) Court No.5.
10. Shri Raj Mangal Singh Yadav, Addl.Civil Judge(J.D.) Court No.6.
11. Shri Nand Kumar, Addl.Civil Judge(J.D.) Court No.8.

It is, therefore, requested that these Property Statements may be placed before the Hon'ble Court for kind perusal.

Yours faithfully,

Anurag Kumar
21/1/11

(ANURAG KUMAR)
District & Sessions Judge,
BAHRAICH

Encl: Property statements-8
as above.

S.O. Admn. 4/A

JRCM
25-01-11

(Signature)

JRCM
with enclosed
Naffhi

24 JAN 2011

Aswini
11-3-11

SATV/ AR Admin H

Pl put up a copy of the P.S of entry into Judicial Service & F-4, 2nd - of immediately

Summar
02-5-11
AR A-4
Av
3/03/11

प्रेषक,

राकेश कुमार तिवारी,
अपर सिविल जज (अवर खण्ड)/जे0एम0,
कोर्ट नं0-5, बहराइच।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
बहराइच।

विषय:-चल व अचल सम्पत्तियों का विवरण माननीय उच्च न्यायालय को
प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के इलाहाबाद के पत्रांक संख्या-13748 -4 -
एच-16, एडमिन (ए-4) दिनांकित 28.08.2010 के अनुपालन में ससम्मान
निवेदन करना है कि मेरी नियुक्ति दिनांक 08.05.2009 को जनपद बहराइच में
हुई है। सेवा में आने से पूर्व आर्थात् दिनांक 08.05.2009 से पूर्व धारित सम्पत्ति
व सेवा में आने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2009-2010 में धारित सम्पत्तियों का
विवरण मेरे द्वारा नहीं भेजा जा सका है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रारूप
में यथोचित कारण दर्शित किया जा रहा है जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।

सादर।

भवदीय,

R. K. Tiwari

दिनांक 17.09.2010ई0,

(राकेश कुमार तिवारी)
अपर सिविल जज (अवर खण्ड)/जे0एम0,
कोर्ट नं0-5, बहराइच।

सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण के सन्दर्भ में न्यायिक अधिकारीगण द्वारा सूचना

न्यायिक अधिकारी का नाम क्या वित्तीय वर्ष 1998-99, यदि सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण नहीं भेजा गया है 1999-2000, 2000-01, 2001-02 तो क्या कारण है? ,2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-2010 को माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया है और यदि प्रेषित किया गया है तो किस तिथि को?

राकेश कुमार तिवारी,

अपर सिविल जज (अ0खं0)
/जे0एम0, कोर्ट नं0-5,
बहराइच।

सेवा में आने से पूर्व आर्थात् माननीय महोदय,

दिनांक 08.05.2009 से
पूर्व धारित सम्पत्ति का विवरण
नहीं भेजा गया है।

सेवा में आने के पश्चात्- वित्तीय
वर्ष 2009-10 का सम्पत्ति
सम्बन्धी विवरण नहीं भेजा गया
है।

विनम्रतापूर्वक निवेदन करना है कि मेरी नियुक्ति जनपद बहराइच में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार हुई थी तथा मेरे द्वारा दिनांक 08.05.2009 को अपर सिविल जज (अ0खं0), कोर्ट नं0-5, बहराइच के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया था। इसके पश्चात् व्यवहारिक प्रशिक्षण व दिनांक 18.08.2009 से 17.11.2009 तक न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण, तत्पश्चात् 6 माह का जनपद न्यायालय, बहराइच में व्यवहारिक प्रशिक्षण व पुनः 18.05.2010 से 17.08.2010 तक न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में प्रशिक्षण में व्यस्त होने के कारण मेरे द्वारा समय सीमा के अन्तर्गत सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण माननीय न्यायालय को प्रेषित नहीं किया जा सका जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भविष्य में इस परिप्रेक्ष्य में कोई त्रुटि पुनः कारित नहीं होगी। महोदय मेरे द्वारा सेवा में आने से पूर्व व सेवा में आने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2009-10 का सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण निर्धारित प्रारूप में अतिशीघ्र प्रेषित कर दिया जावेगा।

दिनांक: 17.09.2010ई0.

R. K. Tiwari

(राकेश कुमार तिवारी)

अपर सिविल जज (अवर खण्ड)/जे0एम0,
कोर्ट नं0-5 बहराइच।